

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा
 अपील ^{RTI} 225/15 /2018

वकील-श्रीदिनेश मिश्रा ^{श्रीकृष्ण} बनाम सुतेंकर

दिनांक	कार्यवाही विवरण	की गई कार्यवाही मय इन्वीसीयियल
25.1.19	अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । वकील अपीलार्थी उपस्थित। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब करे। रेस्पोंडेंट के नोटिस जारी कर पत्रावली दिनांक 5.3.19 को पेश हो। (Signature) भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा	
5.3.19	पीठासीन अधिकारी के अन्य राज्यकार्य में कार्य करने से पत्रावली दिनांक 23.4.19 को वास्ते लायी पेश हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त हुई। (Signature) सैडर	
23.4.19	पीठासीन अधिकारी के धमण/अवकाश पर जाने से पत्रावली दिनांक 23.5.19 को वास्ते लायी पेश हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त हुई। (Signature) सैडर	
23.5.19	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी उपस्थित। प्रत्यूजी सं. 1 व 2 कावयूट सूचना के दो प्रत्यूजी प्रत्यूजी सं. 3 व 4 की तैयारी से राज्य की पत्रावली उपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस दि. 23.7.19 को पेश हो। (Signature) (हेमन्तस्वरूप माथुर) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा	
23.7.19	पीठासीन अधिकारी के अन्य राज्यकार्य में कार्य करने से पत्रावली दिनांक 3.9.19 को वास्ते बहस पेश हो। (Signature) सैडर	
3.9.19	पीठासीन अधिकारी के धमण/अवकाश पर जाने से पत्रावली दिनांक 1.10.19 को वास्ते बहस पेश हो। (Signature) सैडर	
1.10.19	पीठासीन अधिकारी के अन्य राज्यकार्य में कार्य करने से पत्रावली दिनांक 8.11.19 को वास्ते बहस पेश हो। (Signature) सैडर	

8-11-19

पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण
हो जाने से पत्रावली दिनांक 10/12/19
को वास्ते कब्र परा हो।

10/12/19

जिला अभियंता मंत्रा मीलवाहा द्वारा अपने व्यक्ति
वकील अमील शर्मा/न्यायिक दृष्टान्त दिने जाने से पत्रावली
दिनांक 12/1/20 के वास्ते परा हो।

पीठासीन अधिकारी

17-1-20 पत्रावली पेक्षा हुई। अभियंता के अधिवक्ता
उपलब्ध नहीं हुई। पत्रावली वास्ते आदेश
दि 27-1-20 को पेक्षा हो।

27-1-20 पत्रावली पेक्षा हुई। अभियंता के अधिवक्ता उपलब्ध
वकील अमील शर्मा/न्यायिक दृष्टान्त पेक्षा करने
का अवसर चाहते हैं। पत्रावली वास्ते आदेश
दि 31-1-20 को पेक्षा हो।

31-1-20 पत्रावली पेक्षा हुई। अभियंता के अधिवक्ता उपलब्ध
वकील अमील शर्मा के द्वारा अपने अधिवक्ता वकील के
मार्फत न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत नहीं किया है। वकील
अमील शर्मा द्वारा अधिनियम न्यायालय के प्रसंग 332/17
में दिनांक 8-1-19 को अन्तरिम आदेश निवेद्याज्ञा
का आदेश पारित किया उसके विरुद्ध यह अधील प्रत्युक्त
कर निवेदन किया कि अधील विचार पारित पावे।
हमने अधिनियम न्यायालय की पत्रावली का
अवलोकन किया व वकील अमील शर्मा को बुला
या। अधिनियम न्यायालय द्वारा उनके प्रसंग
प्रसंग प्यारा 212 RTA 332/2017 में दिनांक
8-1-19 को अन्तरिम आदेश निवेद्याज्ञा जारी
कर आगामी बुलाई दि 18/2/19 को 0.7 नियम
11 व प्यारा 151 CPC पर नियत की गई। उक्त

हम

हम या कार्यवाही मय उनाशयल्य जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो हम
हम को तामील
में जारी हुए

आदेश के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है जो
बिहीन स्तर पर स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि
यह अन्तरिम आस्था निबेयाज्ञा है न कि अन्तिम
आदेश ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी
(लार्जिस की जाती है) आदेश आज लिलेवाग
जाकर सुनाया गया। पत्रावली परतल
शुमार होकर नम्बर सेवकम हो।

(कैलाश खन्ना)
सु-प्रबन्ध अधिकारी, पदेन
राज्य आपत्त प्रतिकार, बीलवाड़ा

